सरल कानूनी ज्ञान माला – 12

भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : slsa-uk@nic.in ukslsanainital@gmail.com

भरण पोषण प्राप्त करने की विधि

1. पत्नी का पति से भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार :–

जहां एक तरफ भारतवर्ष में देवी के रूप में नारी की पूजा होती है और जगह–जगह देवी मंदिर मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर नारी का जीवन हमेशा पुरुष पर ही निर्भर रहता है। वह जन्म लेने पर पिता पर निर्भर करती है, विवाह होने पर पति पर निर्भर करती है और वृद्व होने पर बेटे पर निर्भर करती हैं। इस प्रकार जीवन के सभी आयामों में उसे पुरुष पर ही निर्भर होना पड़ता है। जब लड़की के माता–पिता बड़ा करके उसको शिक्षा देकर यौवनावस्था में अपनी लड़की का विवाह कर देते हैं तो उसके बाद वैवाहिक जीवन की शुरूआत पति–पत्नी के रूप में जीवन यापन से होती है। जब महिला पत्नी बन जाती है तो उसे अपने माता–पिता का घर छोड़कर पति के घर पर ही आकर निवास करना होता है। इसलिए माता–पिता अपनी बेटी के बारे में ध्यान देना कम कर देते हैं और उसकी जो भी तकलीफें होती हैं उनके समाधान का दायित्व उसके पति पर ही होता है। जब पति द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है या कष्ट दिया जाता है या उसे बेघर किया जाता है तो सहारे के लिए वह पत्नी अपने माता–पिता, भाई–बहिन दरवाजा खटखटाती है। इस प्रकार जब पति देखभाल नहीं करता तो दुःखी होकर उसे माता–पिता का सहारा ही लेना पड़ता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पति का अपनी पत्नी के प्रति कानूनी दायित्व खत्म हो जाता है बल्कि माता–पिता लड़की को इसलिए सहारा देते हैं ताकि वह अपने पति से अपनी कानूनी अधिकारों को मजबूती से मांग कर सके। माता–पिता को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि उनकी विवाहित लड़की कष्ट देने वाले या ध्यान न देने वाले पति से अधिकारों की मांग करे और उसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार निश्चत ही भरण–पोषण का है क्योंकि रोजमर्रा में रहने–सहने एवं खान–पान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भरण–पोषण हेतु धन की आवश्यकता पड़ती है इसलिए त्वरित भरण–पोषण हेतु सक्षम न्यायालय में आवेदन करना परम आवश्यक है। यह बात भी सर्व विदित है कि हमारे समाज में लड़की के माता–पिता कितने भी धनवान क्यों न हों जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसकी जड़ें माता–पिता से कट जाती हैं इसलिए उसे अपने पति से ही भरण–पोषण हेतु मांग करनी होती है और इसके लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में प्रत्येक विवाहित महिला को अपने पति के भरण–पोषण को प्राप्त करने का अधिकार उपलब्ध किया गया है। लड़की जब अपनी शादी के बाद अपने पति के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत करती है तो पति का घर ही उसका घर होता है इसलिए पति अपनी पत्नी की इस कमजोरी को समझते हुए कभी बिना किसी कसूर के अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हुए उसे बेघर भी कर देता है। ऐसी सूरत में पत्नी को अपने पति का घर छोड़ने पर मजबूर होकर अपने माता–पिता के पास रहना पड़ता है और यह जरूरी नहीं कि ऐसी लड़की के माता–पिता पैसे वाले हों बल्कि वे गरीब भी हो सकते हैं इसलिए ऐसे पति द्वारा छोड़ी गई पत्नी को कभी–कभी किराये का मकान लेकर भी रहना पड़ सकता है और खाने–पीने, रहने–सहने के साथ–साथ मकान के किराये इत्यादि वर भी खर्च होना स्वाभाविक ही है। अतः इन सब के लिए पति से भरण–पोषण हेतु आवेदन देकर मांग की जा सकती है। इस प्रकार प्रत्येक विवाहित पत्नी को अपने पति द्वारा प्रताड़ित करने पर, दुर्व्यवहार करने पर या बिना कसूर के उसको घर से निकालने पर, पति द्वारा अपनी पत्नी के प्रति दायित्वों की पूर्ति यदि नहीं की जाती है तो प्रत्येक पत्नी अपने पति से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में धारा 125 द.प्र.सं. के अन्तर्गत आवेदन देकर भरण–पोषण की मांग कर सकती है। किसी भी पत्नी द्वारा ऐसे भरण–पोषण को प्राप्त करने के लिए उसका विवाह विधिमान्य होना जरूरी है जिसमें यदि वह स्त्री हिन्दू है तो उसके विवाह के लिए सप्तपदी की रस्म पूरी की गई थी या अग्नि परिक्रमा जैसे संस्कार को पूरा किया गया था और यदि हिन्दुओं में जहां इस प्रकार की प्रथा नहीं है वहां यदि कोई अन्य प्रथा विधिवत विवाह के लिए प्रचलित थी तो उस प्रथा के अनुसार भी वह विवाह विधिमान्य विवाह माना जाता है। प्रायः इसकी आवश्यकता तभी पड़ती है जब कोई व्यक्ति अपने विवाह को विधिवत मानने से इन्कार करता है क्योंकि यदि कोई स्त्री किसी व्यक्ति के साथ रखैल के रूप में रहती है तो वह विधिवत विवाहिता पत्नी नहीं कही जा सकती और उसे अपने पति से इस धारा 125 द.प्र.सं. के अन्तर्गत भरण–पोषण का अधिकार नहीं दिया गया। इसलिए इस बात पर ध्यान देना जरूरी होता है कि प्रत्येक विवाहित पत्नी को अपने पति से भरण–पोषण प्राप्त करने हेतु विधिमान्य विवाहित होना जरूरी है।

2. बच्चों को अपने माता–पिता से भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार :–

मनुष्य का बच्चा जब जन्म लेता है उसे पहले दिन से ही नहीं बल्कि बचपन से लेकर जवानी प्राप्त होने तक उसका लालन–पालन शिक्षा इत्यादि की विधिवत देखभाल करने का दायित्व भी उसके माता–पिता पर होता है। जहां जानवर का बच्चा पैदा होते ही कुछ समय तक उसकी देखभाल उसके माता–पिता करते हैं उसके बाद वह स्वयं ही अपना जीवन यापन करता है वहां आदमी के बच्चे को लाड़ प्यार से बचपन में पालना और उसको शिक्षा देकर अपने पैरों पर खड़ा करने हेतु उसके माता–पिता को देखभाल करनी होती है। इसलिए कानून में भी इस बात की पर्याप्त व्यवस्था की गई है कि बच्चे के भरण–पोषण में उसके माता–पिता द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय और यदि बच्चों को उनके माता–पिता भरण–पोषण उनके स्तर के अनुसार उपलब्ध नहीं कराते तो वह न्यायालय का सहारा लेकर अपने माता–पिता से ऐसे अधिकारों की पूर्ति हेतु मांग कर सकता है। भरण–पोषण में प्रायः बच्चों की देखभाल का सारा बोझ मां पर ही पड़ता है क्योंकि मां ही घर की सारी देखभाल करती है। बच्चों को नहलाती, खिलाती, स्कूल भेजती है और उनके जीवन में संस्कार डालकर उनके सामाजिक जीवन को सुदृढ़ करती है जब कि पिता का कार्य प्रायः धन कमाकर घर को चलाना होता है। यदि पिता अपनी संतान के प्रति लापरवाह हो जाता है और कमाई घर पर नहीं देता तो उसकी संतान का सारा बोझ बच्चों की मां पर पड़ जाता है, तब वह मजदूरी करके या नौकरी करके या अन्य कोई कार्य इत्यादि द्वारा घर चलाने के लिए कमाई करनी पड़ती है और बच्चों को पालना पड़ता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह अपने बच्चों के भरण–पोषण संबंधी दायित्वों के प्रति अपने पति को पूरी छूट दे बल्कि ऐसी मां को चाहिए कि बच्चों के भरण–पोषण हेतु उनके पिता से उन्हें भरण–पोषण हेतु धनराशि उपलब्ध कराए। प्रायः बच्चे चूंकि मां के पास रहते हैं इसलिए जहां पति उसको घर से निकाल देता है या भरण–पोषण हेतु अपने दायित्वों की पूर्ति नहीं करता तो उसमें पति कि विरूद्व आवेदन देकर भरण–पोषण की धनराशि निर्धारित करें तो उसमें वह पत्नी के भरण–पोषण के खर्चे की धनराशि नियत करने के साथ–साथ बच्चों के खाने–पीने, कपड़े पहनने, रहन–सहन शिक्षा प्राप्त करने के साथ–साथ पिता के स्तर के अनुसार जीवन यापन के जितने खर्चे होते हैं उनका ध्यान रखकर उनको भरण–पोषण की धनराशि निर्धारित करना चाहिए। इस प्रकार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्ग केवल पत्नी को ही भरण–पोषण का अधिकार उपलब्ध नहीं कराया गया है बल्कि उनकी संतान को भी अपने रहन–सहन इत्यादि खर्चों के संबंध में भरण–पोषण के रूप में अधिकार उपलब्ध है।

3. तलाकशुदा पत्नी को अपने भूतपूर्व पति से एवं अवैध बच्चों को भी भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार है :–

पति–पत्नी का रिश्ता कानून द्वारा ही स्थापित होता है जिससे परिवार की आधारशिला रखी जाती है। कभी–कभी यह रिश्ता कायम होने के बाद चल नहीं पाता और आपसी मन मुटाव या एक दूसरे की ज्यादतियों के कारण यह रिश्ता टूट जाता है लेकिन इससे जहां तक भरण–पोषण संबंधी पत्नी के अधिकारों का प्रश्न है वह स्वतः समाप्त नहीं हो जाते है क्योंकि यदि विवाहित पत्नी का अपने पति से तलाक हो जाता है तो तलाक के बाद यदि वह दूसरी शादी नहीं करती और अपने जीवन में भी कोई जारता का कृत्य नहीं करती और उसके पश्चात् ऐसा कोई साधन नहीं है कि वह जीवन यापन करने में समर्थ हो तो उस स्थिति में निश्चत ही वह अपने भरण–पोषण हेतु अपने पूर्व पति से भरण–पोषण भत्ते की मांग कर सकती है। इसके लिए हर धर्म में चाहे वह हिन्दू हो, मुस्लिम हो, ईसाई धर्म हो या कोई और ऐसी सभी तलाकशुदा स्त्रियों को अपने तलाकशुदा पति से धारा 125 द.प.सं. में भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार उपलब्ध कराया गया है। बशर्ते ऐसा तलाकशुदा स्त्री भरण–पोषण करने में असमर्थ हों और उसने दूसरी शादी न की हो तथा वह जारता की दशा में नहीं रह रही हो।

इसी प्रकार जिन बच्चों को अपने पिता का पता न हो अर्थात उनके माता–पिता द्वारा विधिमान्य विवाह न किया गया हो परन्तु इस बात की जानकारी हो कि उनका पिता कौन था जिससे उसकी मां ने जन्म दिया था तो ऐसे अवैध बच्चे भी अपने भरण–पोषण हेतु इस अधिनियम की धारा 125 में मांग कर सकते हैं। प्रायः जब लड़कियां भटक जाती हैं या वह अत्याचार का

शिकार हो जाती है तो उनसे जो संतान उत्पन्न होती हैं उस संतान का स्वयं में अपना कोई दोष नहीं होता है इसलिए जहां ऐसे संतान पैदा करने वाली मां को इस बात की ठोस जानकारी हो कि उनकी अवैध संतान किस व्यक्ति से उत्पन्न हुई तो निश्चत ही ऐसी मां का यह दायित्व हो जाता है कि वह उस संतान के भरण–पोषण हेतु उस व्यक्ति से भरण–पोषण उपलब्ध कराये जो उसे पैदा करने वाला है। इसलिए भरण–पोषण हेतु आवेदन इन बच्चों की ओर से ऐसे व्यक्ति के विरूद्व दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत किया जा सकता है, जिसमें इस बात को सिद्व किया जाना आवश्यक होगा कि वह व्यक्ति वास्तव में ऐसे अवैध संतान को पैदा करने वाला है और इसके भरण–पोषण का दायित्व उसी का है इसलिए इस अवैध संतान को पैदा करने वाली मां को ऐसी प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य अपने पास रखनी चाहिए जो ऐसे अवैध संतान की ओर से दिए गये भरण–पोषण आवेदन में पेश किया जा सकें जिससे ऐसे व्यक्ति के विरूद्व यह सिद्व किया जा सके कि वह संतान उसी की अवैध संतान है ताकि आसानी से भरण–पोषण प्राप्त किया जाना सम्भव हो सके।

4. माता–पिता को अपने बच्चों के भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार है :–

आजकल के युग में जहां परिवार नियोजन के कारण मां–बाप प्रायः दो या तीन बच्चे ही पैदा करते हैं और उनमें यदि बच्चे निकट या स्वार्थी निकल आते हैं तो माता–पिता का बुढ़ापा दुःखमय बन जाता है। भरण–पोषण में प्रायः बच्चों से मां–बाप इस बात की आशा रखते हैं कि वह उनके बुढ़ापे का सहारा होंगे और वैसे भी कोई माता–पिता अपने बच्चों का पालन करके बड़ा करने एवं शिक्षा देने में अपना जो भी मन इकट्ठा किया गया होता है वह पूरा उस पर खर्च कर देते हैं। इसलिए उनकी यह आशा करना स्वाभाविक ही है कि बच्चे उनके बुढ़ापे का सहारा होंगे लेकिन यह दुःख की बात है कि वर्तमान स्वार्थी युग में बच्चे अपने माता–पिता के दायित्वों को भूल जाते हैं कि बुढ़ापे में माता–पिता को उनकी जरूरत होती है तो वह उनकी अनदेखी कर देते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु अब माता–पिता इस अधिनियम की धारा 125 के अन्तर्गत अपने बच्चों से भरण–पोषण का मांग कर सकते हैं और उनको भी भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है जिसमें यदि वह अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ हो तो वह अपने बच्चों से भरण–पोषण प्राप्त कर सकें। इसमें यदि ऐसे माता–पिता की संतान लड़की भी हो और वह कमाती है तो ऐसी लड़की का भी यह दायित्व है कि वह अपने माता–पिता, जो भरण–पोषण करने में असमर्थ हों, उनकी देखभाल करें और यदि वह ऐसा नहीं करती तो निश्चय ही जो माता–पिता अपने भरण–पोषण में असमर्थ हैं वह लड़के के साथ–साथ अपनी लड़की से भी भरण–पोषण की मांग करने हेतु इसे अधिनियम की धारा 125 में आवेदन कर सकते हैं।

5. भरण–पोषण हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया :–

भरण–पोषण हेतु आवेदन देने के लिए किसी प्रकार की कोई कोर्ट फीस की आवश्यकता नहीं है बल्कि एक साधारण रूप में प्रार्थना पत्र जिले के सक्षम मजिस्ट्रेट न्यायालय में देकर भरण–पोषण की मांग की जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह न्यायालय कौन सा होता है जहां इस आवेदन को मजिस्ट्रेट के सम्मुख दिया जाना है इसके लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 126 में यह व्यवस्था की गई है कि आवेदन देने वाले व्यक्ति चाहे वह विवाहित पत्नी हो या बच्चे हों या माता–पिता हों उस जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं जिस जिले में वह निवास करता है। इसके अतिरिक्त ऐसे जिले के मजिस्ट्रेट के सम्मुख भी यह आवेदन किया जा सकता है, जहां वह व्यक्ति निवास करता है, जिससे भरण–पोषण प्राप्त किया जाना होता है या ऐसे जिले में यह आवेदन किया जा सकता है, जहां अन्तिम बार ऐसा व्यक्ति पत्नी के साथ या अधर्मज संतान की माता के साथ उसने निवास किया हो। इस तरह तीन स्थानों में से एक स्थान पर यह प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, जहां भरण–पोषण का आवेदन करने वाला निवास करता है या जिसके विरूद्व आवेदन किया गया, वह निवास करता हो या जिस स्थान पर दोनों अन्तिम बार एक साथ निवास किये हो। इसलिए अब इस बात की किसी को कोई असुविधा नहीं हो सकती कि आवेदन कहीं दूर जाकर दिया जाना होगा बल्कि आवेदनकर्ता के निवास स्थान के जिले में सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जाकर भरण–पोषण हेतु आवेदन किया जा सकता है।

6. भरण–पोषण के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की जा सकती है :–

नई विधि में भरण–पोषण की धनराशि की मात्रा असीमित है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह पत्नी हो, बच्चों हों या मां–बाप हों अपना जीवन यापन एवं भरण–पोषण करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। निश्चत ही भरण–पोषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति के स्तर के अनुसार खर्चे की मात्रा में विभिन्नता हो सकती है। क्योंकि यदि कोई मजदूर है तो उसके भरण–पोषण की मात्रा भिन्न होगी और व्यापारी या दुकानदार होने पर उसके जीवन का स्तर भिन्न होगा, इसलिए जहां तक भरण–पोषण की धनराशि की मात्रा का प्रश्न है, वह केवल भोजन, वस्त्र, आवास की आवश्यकताओं आदि का ही ध्यान नहीं रखा जाता है अपितु पति की आय और उसकी हैसियत को भी ध्यान में रखा जाता है। न्यायालय से यह आशा की जाती है कि भरण–पोषण की राशि जीवन स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। एक मामले में प्रार्थिनी सेवा निवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी थी, जिसमें पति की मासिक आय 20,000.00 रुपये थी और ऐसी पत्नी के भरण–पोषण हेतु न्यायालय द्वारा 500.00 रुपये की धनराशि निर्धारित की गई लेकिन यह भरण–पोषण की राशि इसलिए उपलब्ध कराई गयी थी क्योंकि उस समय इस भरण–पोषण की धारा 125 के अन्तर्गत अधिकतम धनराशि 500 रुपये ही दी जा सकती थी। पुरानी विधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत भरण–पोषण हेतु उपलब्ध कराई गई थी उसमें भरण–पोषण की अधिकतम राशि 500 रु. निर्धारित थी। कहने का तात्पर्य यह है कि भरण–पोषण प्राप्त करने वाले प्रार्थी के आवश्यकताएं कितनी भी क्यों न हो लेकिन न्यायालय अधिकतम राशि 500 से अधिक नहीं दे सकती थी, परन्तु अब यह स्थिति नहीं है क्योंकि अब धारा 125 को अधिनियम संख्या 50 सन् 2001 में संशोधित करके यह व्यवस्था कर दी गई है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भरण–पोषण हेतु जो आवेदन किया जायेगा उसमें भरण–पोषण की मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी। अतः जितनी भी भरण–पोषण धनराशि दिया जाना न्याय संगत होगा न्यायालय उसे देने में सक्षम होगी। अब कोई भी व्यक्ति भरण–पोषण हेतु मांग करेगा तो उसके स्तर के अनुसार उसे जितनी भरण–पोषण की आवश्यकता होगी उतनी धनराशि न्यायालय देने में सक्षम है। जैसे ऊपर उल्लेख किया गया है कि लै. कर्नल के पत्नी के भरण–पोषण के नाम में न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरानी विधि में अधिकतम 500 रुपये ही दे सकता था। अब इस नई विधि के अनुसार जितनी भरण–पोषण की आवश्यकता हो तथा न्यायालय उचित समझता हो अर्थात् 5000 रुपये या उससे अधिक राशि जो पहले नहीं दी जा सकती थी अब वह देने में मजिस्ट्रेट सक्षम है। इस प्रकार पुरानी भरण–पोषण विधि को बदलकर अब नई भरण–पोषण विधि के अन्तर्गत धारा 125 में असीमित भरण–पोषण की धनराशि प्राप्त की जा सकती है।

7. अन्तरिम भरण–पोषण प्राप्त करने की प्रार्थना को न्यायालय द्वारा 60 दिनों के अन्दर तय किया जाना आवश्यक है :–

सर्व प्रथम यह जानकारी करना आवश्यक है कि अन्तरिम भरण–पोषण से क्या अभिप्राय है चूंकि जब भरण–पोषण का आवेदन न्यायालय में द.प्र.सं. की धारा 125 में दिया जाता है तो उसमें निश्चत ही कार्यवाही में दोनों पक्षों को सुनकर एवं साक्ष्य लेखबद्ध करने के बाद उसका निस्तारण किया जाना संभव होता है। इस कार्यवाही में समय लगना स्वाभाविक है, परन्तु जहां एक भरण–पोषण की आवश्यकता का प्रश्न है, उसमें व्यक्ति को अपनी जरूरतों को पूरा करने में इतना लम्बा इंतजार निश्चय ही कष्टदायी होता है क्योंकि उसे रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अपने संबंधियों से सहायता लेनी होगी जबकि इसमें उसका कोई दोष नहीं होता है। इसलिए भरण–पोषण की कार्यवाही के दौरान न्यायालय से अन्तरिम भरण–पोषण हेतु मांग की व्यवस्था अब नई विधि के अन्तर्गत धारा 125 में की गई है, जिसमें भरण–पोषण की कार्यवाही की सुनवाई के दौरान अन्तरिम भरण–पोषण देने हेतु मांग की जा सकती है और न्यायालय का यह दायित्व है कि ऐसी अन्तरिम भरण–पोषण की प्रार्थना करने पर उसकी सुनवाई के लिए विपक्षी को नोटिस देने के बाद 60 दिन के अन्दर ही उसका निस्तारण करें। भरण–पोषण के आवेदन की सुनवाई के चलते अन्तरिम भरण–पोषण की राशि उपलब्ध कराई जाती है और इसमें न्यायालय चाहे तो पक्षकारों का साक्ष्य लिए बगैर उनके शपथ पत्रों के आधार पर ही अन्तरिम भरण–पोषण देने का आदेश कर सकता है। जिसमें न्यायालय को अपना ध्यान इस बात पर केन्द्रित करना होता है कि आवेदन के त्वरित भरण–पोषण की जरूरतों को पूरा करने हेतु अन्तरिम रूप से भरण–पोषण उपलब्ध किया

जा सके। ताकि भरण–पोषण करने में प्रार्थी को कोई कष्ट न हो। जहां पक्षकारों के बीच में विवाह होना संबंधी कोई झगड़ा नहीं होता है। अर्थात दोनों पति–पत्नी होना स्वीकार करते हैं वहां अन्तरिम भरण–पोषण का प्रार्थना पत्र तुरन्त तय हो जाता है और जहां ऐसा झगड़ा हो उसे भी निस्तारण करने में इसलिए कोई अड़चन नहीं आती क्योंकि मुख्य पीटीशन जो भरण–पोषण हेतु लम्बित है उस पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता जो केवल पक्षकारों के साक्ष्य के बाद तय किया जा सकता है। अतः न्यायालय को चाहिए कि इस नई विधि का अनुपालन करते हुए अन्तरिम भरण–पोषण के प्रार्थना पत्र का 60 दिन के अवधि के अन्दर ही निस्तारण करें ताकि जिस उद्देश्य के लिए यह नई विधि बनाई गई है, उसकी पूर्ति की जा सके।

8. अन्तरिम भरण–पोषण की धनराशि वसूल करने की प्रक्रिया :–

यदि न्यायालय द्वारा भरण–पोषण का आदेश होने के बाद उसका भुगतान करने में कोई अड़चन पैदा की जाय तो उसका उद्देश्य ही सप्ताह हो जात हैं। इसलिए जब नई विधि में यदि अन्तरिम भरण–पोषण की धनराशि को अदा करने में आनाकानी की जाती है तो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय जेल भेज सकता है। जिसमें न्यायालय के माध्यम से ऐसे व्यक्ति के विरूद्व गिरफ्तारी वारण्ट जारी कराकर एक माह तक जेल में भी भेजा जा सकता है। इसलिए सभी अन्तरिम भरण–पोषण प्रार्थना पत्र देने वाले प्रार्थियों को चाहिए कि जब न्यायालय द्वारा अन्तरिम भरण–पोषण आदेश दिया जाता है तो उसकी प्राप्ति के लिए उसे ऐसे व्यक्ति के विरूद्व आवश्यकता पड़ने पर वारण्ट जारी करने के लिए भी मांग कर लेनी चाहिए ताकि अन्तरिम भरण–पोषण न देने के संबंध में जो जुर्माना देने या सजा देने का प्राविधान है, उसकी शक्ति का प्रयोग करते हुए अन्तरिम भरण–पोषण की अदायगी में कोई ढील न बरती जाए। इसी प्रकार जहां तक मुख्य भरण–पोषण के आवेदन का प्रश्न है, उसका निस्तारण होने के बाद जो भरण–पोषण की धनराशि के आदेश पारित किये जाते हैं, उसे भी उपलब्ध कराने के लिए न्यायालय को चाहिए कि वह इस नई विधि के अन्तर्गत जो भरण–पोषण की राशि अदा न करने के संबंध में जुर्माना या सजा देने का प्रावधान है, उसको सख्ती से लागू करें जिससे कि भरण–पोषण की विधि के जो प्राविधान है, उसकी पूर्ति किया जाना संभव हो सके। हर भरण–पोषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके भरण–पोषण की धनराशि किसी रूप में तीन वर्ष या उसे अधिक समय से अधिक वाजिव न हो अर्थात इस अवधि से पहले ही उसे भरण–पोषण की धनराशि वसूली हेतु कार्यवाही करने के लिए सक्षम न्यायालय के सम्मुख अपना आवेदन कर लेना चाहिए।

9. भरण–पोषण की नई विधि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में दी गई है। पत्नी सन्तान और माता–पिता के भरण–पोषण के लिए आदेश :–

125, पत्नी, सन्तान और माता–पिता के भरण–पोषण के लिए आदेश :–

(1) यह पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति

(क) अपनी पत्नी का, जो अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ है। या

(ख) अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान का चाहे विवाहित हो या न हो, जो अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ है। या

(ग) अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का (जो विवाहित पुत्री नहीं है) जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यतया या क्षति के कारण अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ है। या

(घ) अपने पिता या माता का, जो अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ है, भरण–पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण–पोषण करने में इंकार करता है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा या इंकार के साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के भरण–पोषण के लिए ऐसे मौसिक दर पर, जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे, मासिक भत्ता दे और उस भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करें जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय–समय पर निर्देश दें परन्तु मजिस्ट्रेट खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अवयस्क पुत्री के पिता को निर्देश दे सकता है कि वह उस समय तक ऐसा

भत्ता दे जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती है यदि मजिस्ट्रेट का संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी अवयस्क पुत्री, यदि वह विवाहित हो, पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है।
(आगे यह उपबन्धित किया जाता है कि उप धारा के अधीन मासिक गुजारा भत्ता की कार्यवाही लम्बित रहते हुए अन्तरिम मासिक गुजारा भत्ता या कार्यवाही में हुए व्यय को जैसा मजिस्ट्रेट युक्तियुक्त समझे, ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी, बच्चों एवं माता–पिता का अदायगी का आदेश समय–समय पर दे सकेगा। आगे यह उपबन्धित किया जाता है कि इस प्रकार के अन्तरिम मासिक गुजारे–भत्ते या कार्यवाही में हुए व्यय संबंधी आवेदन पत्र का निस्तारण जहां तक संभव हो ऐसे व्यक्ति पर नोटिस तामीली की तिथि से 60 दिन के अन्दर कर दिया जाना चाहिए।)

स्पष्टीकरण :– यह अध्याय के प्रयोजनों के लिए –

(क) अवयस्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 (1875 का 9) के उपबन्धों के अधीन यह समझाा जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है।

(ख) पत्नी के अन्तर्गत ऐसे स्त्री भी है जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है और जिसने पुर्नविवाह नहीं किया है।

(2) (इस प्रकार मासिक गुजारे भत्ते या अन्तरिम मासिक गुजारे भत्ते एवं कार्यवाही में हुए व्यय के संबंध में प्रतिकर का भुगतान आदेश की तिथि से, या मासिक गुजारे भत्ते या अन्तरिम मासिक गुजारे भत्ते एवं कार्यवाही के व्यय के संबंध में दिए गए आवेदन पत्र की तिथि से, जैसा भी मामला हो, देय होगा।)

(3) यदि कोई व्यक्ति, जिसे आदेश दिया गया हो, उस आदेश का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है तो उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिए कोई मजिस्ट्रेट देय रकम को ऐसी रीति से उद्‌गृहीत किए जाने के लिए वारण्ट जारी कर सकता है, जैसी रीति जुर्माना उद्‌गृहीत करने के लिए उपबन्धित है और उस वारण्ट के निष्पादन के पश्चात प्रत्येक मास के न चुकाए गए पूरे (गुजारा भत्ता या अन्तरिम गुजारा भत्ता एवं कार्यवाही व्यय जैसा भी मामला हो) या इसके किसी भाग के लिए ऐसे व्यक्ति को एक मास तक की अवधि के लिए, अथवा यदि वह उससे पूर्व चुका दिया जाता है तो चुका देने के समय तक के लिए कारावास का दण्डादेश दे सकता है।

परन्तु इस धारा के अधीन देय किसी रकम की वसूली के लिए कोई वारण्ट तब तक जारी न किया जायेगा जब तक उस रकम को उद्‌गृहीत करने के लिए, उस तारीख से जिसको वह देय हुई, एक वर्ष की अवधि के अन्दर न्यायालय से आवेदन नहीं किया गया है। परन्तु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति इस शर्त पर भरण–पोषण करने की प्रस्थापना करता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे और वह पति के साथ रहने से इंकार करती है तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके द्वारा कथित इंकार के किन्ही आधारों पर विचार कर सकता है और ऐसी प्रस्थापना के लिए किए जाने पर वह इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है। यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश देने के लिए न्यायासंगत आधार है।

स्पष्टीकरण :– यदि पति ने अन्य स्त्री से विवाह कर लिया है या वह रखैल रखता है तो यह उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इन्कार का न्यायसंगत आधार माना जाएगा।

(4) कोई पत्नी अपने पति से इस धारा के अधीन (गुजारा भत्ता या अन्तरिम गुजारा भत्ता एवं कार्यवाही व्यय जैसा भी मामला हो) प्राप्त करने की इकदार न होगी, यदि वह जारता की दशा में रह रही है अथवा यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने के इन्कार करती हो अथवा यदि वे पारस्परिक सम्मति से पृथक रह रहे हैं।

(5) मजिस्ट्रेट यह साबित होने पर आदेश को रद्द कर सकता है कि कोई पत्नी जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है जारता की दशा में रह ही है अथवा पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इंकार करती है अथवा पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने में इंकार करती है अथवा वे पारस्परिक सम्मति से पृथक रह रहे हैं।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00, 000/– (तीन लाख रुपया)तक है आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ङ) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्व में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हॉ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1. सरल कानूनी ज्ञान माला–1 उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2. सरल कानूनी ज्ञान माला–2 पषुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3. सरल कानूनी ज्ञान माला–3 वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4. सरल कानूनी ज्ञान माला–4 उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5. सरल कानूनी ज्ञान माला–5 सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6. सरल कानूनी ज्ञान माला–6 महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7. सरल कानूनी ज्ञान माला–7 वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8. सरल कानूनी ज्ञान माला–8 भ्रश्टाचार निवारण विधि
9. सरल कानूनी ज्ञान माला–9 मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10. सरल कानूनी ज्ञान माला–10 मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11. सरल कानूनी ज्ञान माला–11 मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12. सरल कानूनी ज्ञान माला–12 भरण–पोशण प्राप्त करने की विधि
13. सरल कानूनी ज्ञान माला–13 उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14. सरल कानूनी ज्ञान माला–14 झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15. सरल कानूनी ज्ञान माला–15 किषोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निशेध विधि
16. सरल कानूनी ज्ञान माला–16 मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17. सरल कानूनी ज्ञान माला–17 बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18. सरल कानूनी ज्ञान माला–18 नषीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19. सरल कानूनी ज्ञान माला–19 उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20. सरल कानूनी ज्ञान माला–20 मजदूरों के कानूनी अधिकार
21. सरल कानूनी ज्ञान माला–21 प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22. सरल कानूनी ज्ञान माला–22 दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23. सरल कानूनी ज्ञान माला–23 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24. सरल कानूनी ज्ञान माला–24 हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25. सरल कानूनी ज्ञान माला–25 बाल विवाह निशेध अधिनियम, 2006
26. सरल कानूनी ज्ञान माला–26 उपभोक्ता संरक्षण कानून
27. सरल कानूनी ज्ञान माला–27 राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28. सरल कानूनी ज्ञान माला–28 घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29. सरल कानूनी ज्ञान माला–29 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30. सरल कानूनी ज्ञान माला–30 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31. सरल कानूनी ज्ञान माला–31 तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)

32. सरल कानूनी ज्ञान माला–32 दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला–33 बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला–34 पुलिस षिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला–35 मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला–36 श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला–37 उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38 सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40 एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41 मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42 शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43 समाज कल्याण संबंधी सरकारी योजनाएं
44. सरल कानूनी ज्ञान माला–44 कानून की जानकारी आखिर क्यों ?
45. सरल कानूनी ज्ञान माला–45 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
46. सरल कानूनी ज्ञान माला–46 आपदा प्रबंधन
47. सरल कानूनी ज्ञान माला–47 उत्तराखण्ड अपराध से पीडित सहायता योजना, 2013
48. सरल कानूनी ज्ञान माला–48

विधिक सेवाएं क्या हैं ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,

8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक।
12. HIV/एडस से सक्रमित व्यक्ति

नोटः– क्रम संख्या 1, 7, 9, 10, 11, एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

आर0 के0 खुल्बे
एच.जे.एस.
सदस्य–सचिव

न्यायमूर्ति मनोज कुमार
कार्यपालक अध्यक्ष

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल